प्रमाणित प्रतिलिपि ...निर्णय मय डिक्री...
नम्बर मुकदमा...169/23...अनवान मुकदमा
नाम न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय,बीकानेर
पेशी/निर्णय तारीख..03/03/25..
SBI / मै० जसोल
प्रति हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि विभाग
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

न्यायालय न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः विनोद कुमार सोनी, जिला न्यायाधीश संवर्ग

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः- 169/2023

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेट सैन्टर, बैंक भवन, नरीमन पोइंन्ट, मुम्बई शाखा रोड़ा, नोखा, जिला बीकानेर, जरिये शाखा प्रबंधक श्री समदीशा स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा रोडा, नोखा जिला बीकानेर।

--वादी

विरूद्ध

1. मैसर्स जसोल ड्रेसेज, मोहन प्लाज़ा मार्केट, जैन चौक, नोखा तहसील नोखा, जिला बीकानेर जरिये मालिक हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
2. हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, तहसील व जिला बीकानेर।

--प्रतिवादीगण

वाणिज्यिक न्यायालय
सत्यमेव जयते
बीकानेर

<u>दावा बाबत वसूली राशि रूपए 6,35,483.86 रुपये</u>

वाद पत्र अंतर्गत आदेश 37 C.P.C.

<u>उपस्थितिः-</u>

1. श्री विनायक चितलांगी, अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिरक्षा के प्रक्रम पर कोई उपस्थित नही।

<u>निर्णय</u> दिनांकः-**03.03.2025**

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादीगण ने व्यावसायिक प्रयोजनार्थ एमएसएमई-टीएल ऋण सुविधा के अन्तर्गत ऋण हेतु वादी बैंक के समक्ष आवेदन किये जाने पर वादी बैंक की ओर से दिनांक 13.11.2015 को 6,00,000/- रुपये का एमएसएमई-टीएल योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया गया। कालान्तर में

03/03/2025
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

ऋण अनुबन्ध के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादी को ऋण का सन्दाय नहीं किए जाने के कारण वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध 6,35,483.86/- रूपए प्राप्ति का यह वाद आदेश 37 सि.प्र.सं. के प्रावधानों में प्रस्तुत किया।

2. वादी द्वारा आदेश 37 सीपीसी के प्रावधानों में वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को आदेश 37 नियम 02 सीपीसी के प्रावधानो में सम्मन पंजीकृत पत्र से प्रेषित किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये तथा दिनांक 31.05.2024 को प्रतिवादीगण के पंजीकृत पत्ते का विवरण प्रस्तुत किया गया।

3 प्रक्रियात्मक रुप से आदेश 37 नियम 03 सीपीसी के प्रावधानो में प्रतिवादीगण को "सम्मन फोर जजमेंट' पंजीकृत पत्र से प्रेषित किये गये, जो वापिस प्राप्त नही हुए। आदेशिका दिनांक 05.02.2025 के द्वारा प्रतिवादी पक्ष को आदेश 37 नियम 03 उप नियम 05 सीपीसी के प्रावधानो में सशर्त प्रतिरक्षा हेतु अनुज्ञात किया गया था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा आदेशिका दिनांक 05.02.2025 की पालना में अधिरोपित शर्त की पालना नही की गयी है। वादी द्वारा यह वाद आदेश 37 सीपीसी के प्रावधानो में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी पक्ष को सशर्त उपलब्ध करवायी गयी प्रतिरक्षा की पालना प्रतिवादी पक्ष द्वारा नहीं की गयी है। इस कारण वाद की प्रकृति पुनः आदेश 37 सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार होने के कारण वादी का वादपत्र यथावत्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रलेख प्रस्तुत किए हैं, जिससे न्यायालय आश्वस्त है कि वाद वर्णित ऋण प्रतिवादीगण द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लिया गया था, जिसका सन्दाय पक्षकारान के मध्य सम्पादित अनुबन्ध के अनुसार नहीं किया गया, इस कारण उक्त विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत इस प्रकरण में अन्य प्रक्रिया अपेक्षित नहीं है तथा आदेश 37 नियम 03 उपनियम 05 सि.प्र.सं. के प्रावधानों में वादी का वांछित अनुतोष का वाद यथावत् स्वीकार किए जाने योग्य है।

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

आदेश

5. परिणामस्वरूप वादी यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न-प्रकार से डिक्री किया जाता हैः-

(1) वादी प्रतिवादीगण से 6,35,483.86/- रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

(2) वादी प्रतिवादीगण से दिनांक 29.09.2022 से कुल राशि प्राप्ति तक उक्त राशि पर ऋण संव्यवहार की शर्तों के अनुसार ब्याज पाने का अधिकारी है।

(3) वादी प्रतिवादीगण से वाद व्यय भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

(4) तदनुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर
(विनोद कुमार सोनी)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय,
बीकानेर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर

(विनोद कुमार सोनी)
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय,
बीकानेर

वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वाणिज्यिक न्याया...
बीका...

:: डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई ::
(आर्डर 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, मुकाम बीकानेर
बइजलास – विनोद कुमार सोनी

प्रतिहस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि विभाग
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेट सैन्टर, बैंक भवन, नरीमन प्वाईट, मुम्बई शाखा रोड़ा, नोखा, जिला बीकानेर, जरिये शाखा प्रबंधक श्री समदीशा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रोड़ा, नोखा जिला बीकानेर।

......वादी

विरूद्ध

01. मैसर्स जसोल ड्रेसेज, मोहन प्लाजा मार्केट, जैन चौक, नोखा तहसील नोखा, जिला बीकानेर जरिये मालिक हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

02. हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, तहसील व जिला बीकानेर।

.........प्रतिवादीगण

मूल दीवानी प्रकरण संख्या :: मूल दीवानी 169 / 2023
(सी.आई.एस. नंबर 169 / 2023)

यह मुकदता आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी श्री विनायक चितलांगी, अभिभाषक वादी मिनजानिब मुदई एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिरक्षा के प्रक्रम पर कोई उपस्थित नहीं है, जिसमें **वादी** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेट सैन्टर, बैंक भवन, नरीमन प्वाईट, मुम्बई शाखा रोड़ा, नोखा, जिला बीकानेर का यह वाद **प्रतिवादीगण** 01. मैसर्स जसोल ड्रेसेज, मोहन प्लाजा मार्केट, जैन चौक, नोखा तहसील नोखा, जिला बीकानेर जरिये मालिक हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर 02. हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, तहसील व जिला बीकानेर के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है:–

01. वादी प्रतिवादीगण से 6,35,483.86 /– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।
02. वादी प्रतिवादीगण से दिनांक 29.09.2022 से कुल राशि प्राप्ति तक उक्त राशि पर ऋण संव्यवहार की शर्तो अनुसार ब्याज पाने का अधिकारी है।
03. वादी प्रतिवादीगण से वाद व्यय भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

मोहर वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर

03/03/2025

न्यायाधीश न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, बीकानेर वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

वादी	**रूपया**	**पैसे**	**प्रतिवादीगण**	**रूपया**	**पैसे**
स्टाम्प अर्जीदावा	41506	00	स्टाम्प अर्जीदावा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
दरख्वास्त वादी	0	00	दरख्वास्त प्रतिवादी	7	0
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	140	00	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुतफरिक	00	00	मुतफरिक	00	00
योग	**41,648**	**00**	**योग**	**09**	**00**

वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर

मुख्य प्रतिलिपिकार
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

03/03/2025

न्यायाधीश न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, बीकानेर वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि ... निर्णय मय डिक्री
नम्बर मुकदमा 169/23 अनवान मुकदमा SBI / प्र० जसोल
नाम न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, बीकानेर
पेशी/निर्णय तारीख 03/03/25

प्रति हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि विभाग
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

न्यायालय न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी: विनोद कुमार सोनी, जिला न्यायाधीश संवर्ग

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः- 169/2023

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेट सैन्टर, बैंक भवन, नरीमन पोइंन्ट, मुम्बई शाखा रोड़ा, नोखा, जिला बीकानेर, जरिये शाखा प्रबंधक श्री समदीशा स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा रोडा, नोखा जिला बीकानेर।

--वादी

विरूद्ध

1. मैसर्स जसोल ड्रेसेज, मोहन प्लाजा मार्केट, जैन चौक, नोखा तहसील नोखा, जिला बीकानेर जरिये मालिक हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
2. हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, तहसील व जिला बीकानेर।

--प्रतिवादीगण

वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर

दावा बाबत वसूली राशि रूपए 6,35,483.86 रुपये

वाद पत्र अंतर्गत आदेश 37 C.P.C.

उपस्थितिः-

1. श्री विनायक चितलांगी, अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिरक्षा के प्रक्रम पर कोई उपस्थित नही।

निर्णय दिनांकः-**03.03.2025**

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादीगण ने व्यावसायिक प्रयोजनार्थ एमएसएमई-टीएल ऋण सुविधा के अन्तर्गत ऋण हेतु वादी बैंक के समक्ष आवेदन किये जाने पर वादी बैंक की ओर से दिनांक 13.11.2015 को 6,00,000/- रुपये का एमएसएमई-टीएल योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया गया। कालान्तर में

03/03/2025
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

ऋण अनुबन्ध के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादी को ऋण का सन्दाय नहीं किए जाने के कारण वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध 6,35,483.86/- रूपए प्राप्ति का यह वाद आदेश 37 सि.प्र.सं. के प्रावधानों में प्रस्तुत किया।

2. वादी द्वारा आदेश 37 सीपीसी के प्रावधानों में वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को आदेश 37 नियम 02 सीपीसी के प्रावधानो में सम्मन पंजीकृत पत्र से प्रेषित किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये तथा दिनांक 31.05.2024 को प्रतिवादीगण के पंजीकृत पत्ते का विवरण प्रस्तुत किया गया।

3 प्रक्रियात्मक रुप से आदेश 37 नियम 03 सीपीसी के प्रावधानो में प्रतिवादीगण को "सम्मन फोर जजमेंट' पंजीकृत पत्र से प्रेषित किये गये, जो वापिस प्राप्त नही हुए। आदेशिका दिनांक 05.02.2025 के द्वारा प्रतिवादी पक्ष को आदेश 37 नियम 03 उप नियम 05 सीपीसी के प्रावधानो में सशर्त प्रतिरक्षा हेतु अनुज्ञात किया गया था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा आदेशिका दिनांक 05.02.2025 की पालना में अधिरोपित शर्त की पालना नही की गयी है। वादी द्वारा यह वाद आदेश 37 सीपीसी के प्रावधानो में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी पक्ष को सशर्त उपलब्ध करवायी गयी प्रतिरक्षा की पालना प्रतिवादी पक्ष द्वारा नहीं की गयी है। इस कारण वाद की प्रकृति पुनः आदेश 37 सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार होने के कारण वादी का वादपत्र यथावत्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रलेख प्रस्तुत किए हैं, जिससे न्यायालय आश्वस्त है कि वाद वर्णित ऋण प्रतिवादीगण द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लिया गया था, जिसका सन्दाय पक्षकारान के मध्य सम्पादित अनुबन्ध के अनुसार नहीं किया गया, इस कारण उक्त विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत इस प्रकरण में अन्य प्रक्रिया अपेक्षित नहीं है तथा आदेश 37 नियम 03 उपनियम 05 सि.प्र.सं. के प्रावधानों में वादी का वांछित अनुतोष का वाद यथावत् स्वीकार किए जाने योग्य है।

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

आदेश

5. परिणामस्वरूप वादी यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न-प्रकार से डिक्री किया जाता हैः-

(1) वादी प्रतिवादीगण से 6,35,483.86/- रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

(2) वादी प्रतिवादीगण से दिनांक 29.09.2022 से कुल राशि प्राप्ति तक उक्त राशि पर ऋण संव्यवहार की शर्तों के अनुसार ब्याज पाने का अधिकारी है।

(3) वादी प्रतिवादीगण से वाद व्यय भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

(4) तदनुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे ।

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

(विनोद कुमार सोनी)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय,
बीकानेर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार सोनी)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय,
बीकानेर

वाणिज्यिक न्यायालय बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

प्रतिहस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि विभाग
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

:: डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई ::
(आर्डर 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, मुकाम बीकानेर
बइजलास – विनोद कुमार सोनी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेट सैन्टर, बैंक भवन, नरीमन प्वाईंट, मुम्बई शाखा रोड़ा, नोखा, जिला बीकानेर, जरिये शाखा प्रबंधक श्री समदीशा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रोड़ा, नोखा जिला बीकानेर।

......वादी

विरूद्व

01. मैसर्स जसोल ड्रेसेज, मोहन प्लाजा मार्केट, जैन चौक, नोखा तहसील नोखा, जिला बीकानेर जरिये मालिक हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
02. हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, तहसील व जिला बीकानेर।

.........प्रतिवादीगण

मूल दीवानी प्रकरण संख्या :: मूल दीवानी 169 / 2023
(सी.आई.एस. नंबर 169 / 2023)

यह मुकदता आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी श्री विनायक चितलांगी, अभिभाषक वादी मिनजानिब मुदई एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिरक्षा के प्रक्रम पर कोई उपस्थित नहीं है, जिसमें **वादी** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेट सैन्टर, बैंक भवन, नरीमन प्वाईंट, मुम्बई शाखा रोड़ा, नोखा, जिला बीकानेर का यह वाद **प्रतिवादीगण** 01. मैसर्स जसोल ड्रेसेज, मोहन प्लाजा मार्केट, जैन चौक, नोखा तहसील नोखा, जिला बीकानेर जरिये मालिक हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर 02. हुलास चंद लाहोटी पुत्र सीताराम लाहोटी निवासी देव नारायण मंदिर के सामने, बापू कॉलोनी, तहसील व जिला बीकानेर के विरूद्व निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है:–
01. वादी प्रतिवादीगण से 6,35,483.86 /– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।
02. वादी प्रतिवादीगण से दिनांक 29.09.2022 से कुल राशि प्राप्ति तक उक्त राशि पर ऋण संव्यवहार की शर्तों अनुसार ब्याज पाने का अधिकारी है।
03. वादी प्रतिवादीगण से वाद व्यय भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

मोहर

03/03/2025
न्यायाधीश न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, बीकानेर वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादीगण	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा	41506	00	स्टाम्प अर्जीदावा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
दरख्वास्त वादी	0	00	दरख्वास्त प्रतिवादी	7	0
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	140	00	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुतफरिक	00	00	मुतफरिक	00	00
योग	**41,648**	**00**	**योग**	**09**	**00**

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर

03/03/2025
न्यायाधीश न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, बीकानेर वाणिज्यिक न्यायालय
बीकानेर